भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1415

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

हरित विद्यालय योजना को लागू करना

†1415. **श्रीमती डिम्पल यादव:**

एडवोकेट प्रिया सरोज:

श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने विद्यालयों ने सभी 21 निर्धारित घटकों को पूर्ण कर लिया है, जिनमें आईसीटी अवसंरचना, व्यावसायिक प्रयोगशालाएँ और सौर ऊर्जा प्रतिष्ठान शामिल हैं, इसका राज्य-वार और जिला/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में, ब्यौरा क्या है;

(ख) हरित विद्यालय घटकों जैसे वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन और पोषण बागीचा योजना लागू करने के लिए कुल जारी और उपयोग की गई धनराशि तथा उन विद्यालयों की संख्या जो अभी तक केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसका राज्य-वार और जिला/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में, ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वित्तीय वर्षों में बजटीय आवंटन की तुलना में निधियों के कम उपयोग की समीक्षा की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है और इसके पीछे पहचाने गए कारण कौन से हैं; और

(घ) क्या इन उपयोग प्रवृत्तियों ने देश में 2027 तक लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा को प्रभावित किया है, यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों में से 14,500 से अधिक स्कूलों को सुदृढ़ बनाना है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करेंगे, उदाहरणपरक स्कूल बनेंगे, और आस-पड़ोस के अन्य स्कूलों को मानक नेतृत्व प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप, पीएम श्री योजना में पीएम श्री विद्यालयों में 21 घटकों नामतः कंप्यूटर लैब/आईसीटी लैब/स्मार्ट कक्षाएँ, अच्छे फर्नीचर सहित पुस्तकालय,

इंटरनेट सुविधा, व्यावसायिक कौशल शिक्षा, मार्गदर्शन और करियर काउंसलिंग, पूरी रूप से सुसज्जित एकीकृत विज्ञान लैब/भौतिकी लैब/रसायन लैब/जीवविज्ञान लैब, फर्नीचर की उपलब्धता, अच्छी खेल सुविधाओं से युक्त खेल का मैदान, स्कूल नवाचार परिषद, मिशन लाइफ के लिए यूथ और इको क्लब, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड (बीएएलए) फिचर और जादुई पिटारा, छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिन, बच्चों की उपस्थिति का पता करने के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, शुद्ध पेयजल, पूरी तरह से कार्यात्मक हाथ धोने की सुविधा तथा शौचालय, बालिकाओं हेतु सैनिटरी पैड वाले कार्यात्मक वेंडिंग मशीन की सुविधा वाले शौचालय, बालिकाओं के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन, ग्रीन स्कूल फीचर्स, स्कूल प्रधानाचार्यों/शिक्षकों का क्षमता निर्माण, शिक्षण में टीएलएम (शिक्षण और अधिगम सामग्री) का उपयोग, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में 21 घटकों में से घटकों के पूर्ति प्रतिशत की सूची **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।

(ख): पीएम श्री योजना का उद्देश्य वर्षा संचयन, सोलर पैनल और एलईडी लाइट का उपयोग करके ऊर्जा दक्ष, प्राकृतिक कृषि वाले पोषण उद्यान, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक-मुक्त, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़ी परंपराओं/प्रथाओं का अध्ययन तथा ऑर्गेनिक जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूकता पैदा करने जैसी पर्यावरण अनुकूल पहलुओं को शामिल करते हुए पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करना है। इन कार्यकलापों का उद्देश्य पूरे देश के स्कूलों में एक संधारणीय और पर्यावरण-अनुकूल अधिगम वातावरण का निर्माण करना है।

वित्त वर्ष 2025-26 में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने सभी पीएम श्री स्कूलों हेतु ग्रीन स्कूल घटकों सहित विभिन्न घटकों के लिए कुल ₹ 5811.27 करोड़ का केन्द्रीय परिव्यय अनुमोदित किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीन स्कूल घटकों को कार्यान्वित करने हेतु निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन **अनुलग्नक-II** में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, पीएम श्री योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्यों और विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फंड फ्लो तथा वित्तीय प्रबंधन हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) स्पर्श प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है एवं ग्रीन स्कूल घटकों सहित निधि का उपयोग करने के लिए ₹ 2346.88 करोड़ की मूल स्वीकृति की गई है। इस योजना के तहत मूल स्वीकृति स्कूल-वार या घटक-वार जारी न कर के राज्य-वार जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की साझेदारी में पीएम श्री योजना की केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न घटकों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हैं एवं यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होता है। तत्पश्चात, योजना के कार्यक्रमिक और वित्तीय मानकों के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श

से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/आकलन किया जाता है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति, पूर्व में जारी की गई निधियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, राज्य के योगदान तथा योजना के मानकों के अनुपालन पर केंद्र भाग का जारी होना निर्भर करता है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग पीएम श्री योजना में निधि का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है:

i. एनआईसी द्वारा विकसित एक अलग प्रबंध पोर्टल (https://prabandh.education.gov.in/pmshri/) के माध्यम से व्यय की निगरानी करना, जिससे पीएबी द्वारा अनुमोदित विभिन्न घटकों के तहत उपयोगिता और परिणामों की निगरानी की जा सकेगी।
ii. प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित मासिक समीक्षा आयोजित करना।
iii. स्कूलों से रियल-टाइम डेटा लेने के लिए एक विशिष्ट पीएम श्री स्कूल गतिविधि पोर्टल (https://pmshri.education.gov.in/sqaf/activities) बनाया गया है, जिसमें विद्यार्थी-स्तर के परिणाम, अवसंरचना सुलभता, घटक-वार संतृप्ति और मुख्य संकेतक संबंधी प्रगति शामिल है।
iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुसार एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएफ) तैयार किया गया है, जो प्रत्येक पीएम श्री स्कूल द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दक्षता स्तर को दर्शाता है। एसक्यूएएफ को पीएम श्री योजना के छह स्तंभों के आधार पर छह मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है।
v. इस योजना के तहत पीएम श्री स्कूलों की वास्तविक निगरानी के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरा करना।

*****

अनुलग्नक I

"हरित विद्यालय योजना को लागू करना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव, एडवोकेट प्रिया सरोज और श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में 21 घटकों में से घटकों की पूर्ति प्रतिशत की सूची नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस/एनसीईआरटी	21 एनईपी घटकों की संतृप्ति का प्रतिशत (%)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	96.09%
2	आंध्र प्रदेश	96.80%
3	अरुणाचल प्रदेश	85.43%
4	असम	96.89%
5	बिहार	60.52%
6	चंडीगढ़	100.00%
7	छत्तीसगढ़	97.93%
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	78.91%
9	गोवा	88.89%
10	गुजरात	91.68%
11	हरियाणा	85.99%
12	हिमाचल प्रदेश	96.91%
13	जम्मू एवं कश्मीर	93.73%
14	झारखंड	82.33%
15	कर्नाटक	84.39%
16	केविसं	94.62%
17	लद्दाख	91.02%
18	लक्षद्वीप	96.82%
19	मध्य प्रदेश	86.67%
20	महाराष्ट्र	91.91%
21	मणिपुर	92.35%
22	मेघालय	93.33%
23	मिजोरम	94.80%
24	नगालैंड	85.53%
25	एनसीईआरटी	95.00%
26	नविस	100.00%
27	ओडिशा	95.06%
28	पुडुचेरी	97.82%
29	पंजाब	90.57%
30	राजस्थान	89.26%
31	सिक्किम	96.92%
32	तेलंगाना	93.85%
33	त्रिपुरा	94.77%
34	उत्तर प्रदेश	95.37%
35	उत्तराखंड	91.52%
		91.53%

*****

अनुलग्नक-II

"हरित विद्यालय योजना को लागू करना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती डिम्पल यादव, एडवोकेट प्रिया सरोज और श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा दिनांक 09.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1415 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम श्री योजना के तहत ग्रीन स्कूल घटकों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केविसं/नविस/एनसीईआरटी को वर्ष-वार आबंटित निधि का विवरण नीचे दिया गया है।:

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस/एनसीईआरटी	आबंटित निधियाँ		
		2023-24	2024-25	2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.30	2.82	9.02
2	आंध्र प्रदेश	2014.02	1567.19	273.55
3	अरुणाचल प्रदेश	130.00	146.34	154.02
4	असम	963.60	1290.01	195.49
5	बिहार	0.00	0.00	643.72
6	चंडीगढ़	1.12	4.62	3.46
7	छत्तीसगढ़	262.64	155.51	117.47
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	19.98	8.27	26.19
9	गोवा	41.26	37.12	1.40
10	गुजरात	827.94	403.75	38.04
11	हरयाणा	163.58	188.77	87.73
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	694.59	681.09
13	जम्मू एवं कश्मीर	387.62	698.90	286.60
14	झारखंड	0.00	1587.08	545.01
15	कर्नाटक	673.01	1085.85	0.00
16	केविसं	1722.87	2746.05	2431.38
17	लद्दाख	29.21	32.75	18.05
18	लक्षद्वीप	11.36	2.57	3.96
19	मध्य प्रदेश	131.47	249.79	413.33
20	महाराष्ट्र	1352.49	1981.76	1217.22
21	मणिपुर	366.58	242.35	213.86
22	मेघालय	59.12	120.13	121.33
23	मिजोरम	33.67	32.76	39.48
24	नगालैंड	4.30	11.02	4.43
25	एनसीईआरटी	0.00	0.00	16.62
26	नविस	364.84	868.90	0.00
27	ओडिशा	0.00	457.98	777.24
28	पुडुचेरी	8.96	6.24	8.64
29	पंजाब	0.00	332.24	357.25
30	राजस्थान	526.35	656.67	465.56
31	सिक्किम	94.23	21.71	30.54
32	तेलंगाना	1780.00	2121.61	0.00
33	त्रिपुरा	36.72	101.86	19.16
34	उत्तर प्रदेश	2262.16	1818.53	1383.03
35	उत्तराखंड	406.90	335.59	452.05
	कुल	**14683.29**	**20011.31**	**11035.90**

*****